सहूलियत : उद्योगों के लिए भूमि का उपयोग 90 दिन में बदलेगा

लखनऊ | प्रमुख संवाददाता

राज्य सरकार ने यूपी के शहरी क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए जमीन का भू-उपयोग बदलने की प्रक्रिया आसान कर दी है। भू-उपयोग 90 दिन में बदला जाएगा व परिवर्तन शुल्क 35 से घटाकर 20% ही लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में यह फैसला हुआ।

ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों को दोहरे टैक्स से मुक्ति मिलेगी। जिला पंचायतों द्वारा एकत्र टैक्स का न्यूनतम 60% उसे औद्योगिक क्षेत्र के रखरखाव पर खर्च किया जाएगा। यूपीसीडा मेरठ में बंद पड़ी कताई मिल की जमीन पर नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करेगा। डीएम हर माह उद्योग बंधु की बैठक कर समस्याओं का समाधान करेंगे। सीएम ने सोमवार को उद्योग बंधु (इन्वेस्ट यूपी) की बैठक में सीएम ने उद्यमियों से कहा कि वे यूपी में निवेश करें। उनकी समस्या तय समय में दूर होगी।

शुल्क 15 फीसदी घटा

- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया फैसला
- परिवर्तन शुल्क 35 से घटाकर 20 फीसदी किया जाएगा

यूपी में 20 हजार एकड़ का भूमि बैंक तैयार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार यूपी को औद्योगीकरण के नए युग में आगे ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। कानून-व्यवस्था मजबूत है। माहौल इंडस्ट्री फ्रेंडली है। उद्योग लगाने के लिए 20,000 एकड़ का भूमि बैंक तैयार है। उद्योगों के लिए अब लैंड बैंक, फार्मा, डाटा सेंटर व खाद्य प्रसंस्करण पॉलिसी लाने जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि तीन सालों में बहुत कुछ बदला है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में 12वें पायदान से नम्बर दो पर आ चुके हैं। फरवरी 2018 की इन्वेस्टर समिट में जितने एमओयू हुए थे, उसमें 45% पर अमल होने लगा है। मुझे लगता है कि यह रिकॉर्ड उपलब्धि है।